झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग–03

09 फाल्गुन,1945 (श0)

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक–.....को
28 फरवरी, 2024 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
60	अ0सू0–08	श्री राजेश कच्छप	ई–रिक्सा के संबंध में कदम उठाना।	परिवहन विभाग	21.02.2024
61	अ0सू0–13	सुश्री अम्बा प्रसाद	पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार देना।	पंचायती राज	21.02.2024
62	अ0सू0–09	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	P-PESA प्रावधानों को संगत बनाना।	पंचायती राज	22.02.2024
63	अ0सू0–10	श्री नलिन सोरेन	राशि भुगतान करना।	भवन निर्माण	22.02.2024
• 64	अ0सू0–06	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	सरकारी वाहनों का इंश्योरेंश।	परिवहन विभाग	20.02.2024
65	अ0सू0–14	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पथ निर्माण कराना	पथ निर्माण	23.02.2024
66	अ0सू0–16	श्रीमती सुनिता चौधरी	पथों को हस्तांतरित करना	पथ निर्माण	23.02.2024
67	अ0सू0–15	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	I-PRP कर्मियों को लाभ देना	ग्रामीण विकास	23.02.2024
68	अ0सू0–18	श्री अमित कुमार यादव	मानदेय में वृद्धि करना।	पंचायती राज	23.02.2024
69	अ0सू0–05	श्री अनन्त कुमार ओझा	अबुआ आवास का लाभ दिलाना	ग्रामीण विकास	20.02.2024

* परिवहन विभाग का ज्ञापांक–296, दिनांक–23.02.2024 द्वारा वित्त विभाग को स्थानांतरित।

कृ0पृ0उ0–/

01	02	03	04	05	06
70	अ0सू0—03	श्री केदार हजरा	पथ का निर्माण	ग्रामीण कार्य	19.02.2024
71	अ0सू0—04	श्री सरयू राय	नगर निगम योजनाओं को पूर्ण करना	नगर विकास एवं आवास	19.02.2024
72	अ0सू0—11	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	अबुआ आवास उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	22.02.2024
73	अ0सू0—07	श्री सरयू राय	परिसंपत्तियों को सौंपना	परिवहन	21.02.2024
74	अ0सू0—01	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	अबुआ आवास देना	ग्रामीण विकास	18.02.2024
75	अ0सू0—12	श्री अमित कुमार यादव	मूल्य निर्धारित कराना	नगर विकास एवं आवास	23.02.2024
76	अ0सू0—17	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	पथ निर्माण कराना	पथ निर्माण	23.01.2024
77	अ0सू0—02	श्री राज सिन्हा	विभागीय कार्रवाई करना	भवन निर्माण	18.02.2024

राँची,
दिनांक—28 फरवरी, 2024 (ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0प्रश्न—04/2020—2951/वि0स0,रांची,दिनांक—27/02/24

प्रतिलिपि :— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2024
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0प्रश्न—04/2020—2951/वि0स0,रांची,दिनांक—27/02/24

प्रतिलिपि :— संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान—सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचानार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2024
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या—झा0वि0स0प्रश्न—04/2020—2951/वि0स0,रांची,दिनांक—27/02/24

प्रति :— कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा/ अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति शाखा को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
27.02.2024
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

राजु/

60

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–08 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री दीपक बिरूवा, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का आदेश सं०–5333(क) (According to central motor vechile Act, 1988 (1988 का 59) की Section 66 की Sub-section (3) खण्ड (ढ) Section 66 की Sub-section (1) के तहत् बैटरी, मेथनाल एवं इथनाल ईंधन चालित कोई यान की "PERMIT' आवश्यक नहीं है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित PERMIT' आवश्यक अहर्त्ता नहीं होने के बावजूद ई–ऑटो–चालको कोन तो रूट उपलब्ध कराई जा रही है और न ही कोई नियमावली ही बनाई गई है;	नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है।
03	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के विपरित राज्य के निगम क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वाहनों को जब्त कर Fine काटी जा रही है, जिससे गरीब–पिछड़े चालक परेशान है;	उत्तर कंडिका – 2 में स्पष्ट कर दी गयी है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मामले का संज्ञान लेकर चालकों (ई–आटो) के हित में कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त उत्तर कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०प्र०)–21/2024 328 /राँची,दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2778, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०प्र०)–21/2024 328 /राँची,दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि–सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

61

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 13 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में तीन बार पंचायत चुनाव होने के बाद भी राज्य वित्त आयोग से पंचायत जन प्रतिनिधियों को विकास हेतु राशि आवंटित नहीं की गई है, जिसके कारण पंचायत का विकास केन्द्र सरकार से मिलने वाली 15वीं वित्त आयोग की राशि पर ही निर्भर है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1955/वि0 दिनांक 23.07.2019 द्वारा किया गया था जिसका कार्यकाल दिनांक 27.01.2024 को समाप्त हो चुका। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरांत झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 144(1) के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन एवं उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 526 दिनांक 23.02.2024 द्वारा किया गया है ।
(2) क्या यह बात सही है कि पंचायत के विकास हेतु राज्य से राशि नहीं मिलने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है व केन्द्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि राज्य वित्त आयोग राशि नहीं देगी तो केन्द्र सरकार भी पंचायत में राशि उपलब्ध कराना बंद कर देगी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
(3) क्या यह बात सही है कि पंचायतों को प्रदत्त 14 विभागों अन्तर्गत 29 अधिकारों यथा पेंशन, आवास, कृषि, सिंचाई, पशुपालन इत्यादि का पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लगातार मांग की जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पंचायतों को प्रदत्त 14 विभागों अन्तर्गत 29 अधिकारों यथा पेंशन, आवास, कृषि, सिंचाई, पशुपालन इत्यादि का पंचायत के द्वारा क्रियान्वयन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पंचायतों के विकास हेतु राज्य वित्त आयोग से राशि उपलब्ध कराने, पंचायत प्रतिनिधियों को उनके अधिकार दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–14/2024–522–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2873 दिनांक 23.02.2024 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0..2/

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–14/2024–522–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–14/2024–522–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/26.02.2024

(62)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–09 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार पंचायती राज विभाग ने संसदीय अधिनियम The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 अर्थात PESA 1996 के अनुपालन में दिनांक 26 जुलाई 2023 को विभागीय अधिसूचना संख्या–1784 के द्वारा झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 का औपबंधिक प्रारूप को प्रकाशित कर एक महीना का समय सीमा के अंदर उपर्युक्त प्रारूप नियमावली 2022 पर आपत्ति/सुझाव की मांग की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 का औपबंधिक प्रारूप पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने के छः महीने बीत जाने के बाद भी उपर्युक्त प्रारूप नियमावली 2022 को अन्तिम रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा आज तक पूरा नहीं किया जा सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 का औपबंधिक प्रारूप प्रकाशन के उपरांत इस पर कुल 262 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें झारखण्ड पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2022 में समाहित करते हुए नियमावली के गठन से संबंधित कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा मंत्रिपिरषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में उक्त नियमावली पर विस्तृत चर्चा की गई थी।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संसदीय अधिनियम PESA 1996 के 23 प्रावधानों (Provisions) के संगत नियमावली बनाने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नियमावली प्रारूप प्रकाशित की गई है एवं सरकार द्वारा स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–12/2024–519–/, राँची, दिनांकः–27.2.24

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2805 दिनांक 22.02.2024 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-2-24

(सुरेश कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0..2/..

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–12/2024–519–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–12/2024–519–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/23.02.2024

(65)

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–14" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि, राज्य सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने हेतु नई सड़क परियोजना का निर्माण कर संबंधित क्षेत्रों को आर्थिक तथा पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना है ;	
2. क्या यह बात सही है कि, लातेहार जिला के मनिका प्रखण्ड अन्तर्गत बकोरियो (NH-75) से पलामू जिला के पांकी प्रखण्ड के माड़न, सुरजवन से भाया तरहसी, प्रखण्ड–मनातू में एकहारा होते हुए शेरघाटी (बिहार) में (N.H-2) जी0टी0 रोड तक पथ निर्माण कर जोड़ने से पूरे संबंधित क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है ;	प्रश्नगत पर्यटन कोरिडोर के लिए सम्भाव्यता का अध्ययन एक प्रारंभिक प्रक्रिया की अवस्था में है। कोरिडोर की रूपरेखा अभी विचाराधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ का निर्माण कराकर पूरे पाँकी विधानसभा क्षेत्र का समुचित विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–अ0सू0–04 / 2024(बजट सत्र) 925(S) / राँची, दिनांक :– 27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2875, दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कु0 सिंह
27/2/24
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(66)

श्रीमती सूनिता चौधरी, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–16" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि a. पी0डब्ल्यू0डी0 रोड मुरी के डभातु से हिसिम चौक खुदीबेड़ा बाहदुरपुर बंगाल सीमा पी0डब्ल्यू0डी0 पथ तक भाया संग्रामपुर b. बड़कीपोना, लारी, सोसो,इचातु, दोहाकातु होते हुए एन0एच0 चुटूपालू पथ तक c. कोरम्बे से हुंडरू फॉल तक पथ भाया जयंतीबेड़ा पथ तथा d. बरियातु से हुंडरूफॉल तक पथ को ग्रामीण कार्य मामले विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लम्बित है ;	प्रश्नगत सभी चारों पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ है। क्रम सं0 (d) बरियातु से हुंडरू फॉल पथ के लिए हस्तांतरण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है। डी0पी0आर0 सूत्रण हेतु कार्रवाई की गई है। भोश तीन पथ की मरम्मति/निर्माण/उन्नयन संबंधित विभाग द्वारा नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनुरोध एवं अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता, निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित ग्रामीण पथों को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करने से वाहनों के आवागमन में काफी सुविधा होगी;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ग्रामीण पथों का पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–अ0सू0–05/2024 (बजट सत्र)...929(S)...../राँची, दिनांक :–27/02/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2877, दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/2/24

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(67)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को सदन में दी जाने वाली अल्प सूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में संचालित JSLPS में इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (I-PRP) और (I-BAP) 2014 से कार्य कर रहे है। नियुक्ति के 11 वर्ष बाद भी उनके मानदेय में अबतक किसी प्रकार की वृद्धि नहीं किया गया है तथा अन्य लाभ से वंचित रखा गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य में वर्तमान में 734 इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन (I–PRP) और 114 ब्लाक एंकर पर्सन (I-BAP), JSLPS के अंतर्गत गठित संकुल संगठनों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इनमे से लगभग 34% वर्ष 2015 से 2017 के मध्य और 66% वर्ष 2018 से 2023 के मध्य आवश्यकतानुसार भिन्न–भिन्न तिथियों से विभिन्न संकुल संगठनों में कैडर के रूप में दैनिक मानदेय पर सेवाएँ दे रहे हैं। इन्हें दैनिक उपस्थिति के आधार पर मानदेय के अतिरिक्त, मोबाइल खर्च एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु अलग से एकमुश्त राशि दी जाती है। ये कैडर झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कमी नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि 2014 से 2020 तक इन कर्मियों को JSLPS के द्वारा मानदेय/पारश्रमिक इनके व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित किया जाता था, परन्तु कोविड के समय से इनकी सेवा के लिए बनी पॉलिसी के विपरीत 2020 के बाद से कैडर भुगतान सेवा (CBS) (थर्ड पार्टी) के माध्यम से सामुदायिक संस्था के खाते में पूर्व में मिलने वाली राशि से रुपये 3000 (तीन हजार) काट कर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक जब तक झारखण्ड में अधिकांश संकुल संगठनों का गठन नहीं हो गया, इनका दैनिक मानदेय इनके खाते में JSLPS के द्वारा दिया गया, परन्तु अधिकांश संकुल संगठनों के गठन के उपरांत सभी कैडरों का मानदेय का भुगतान संकुल संगठनों के माध्यम से वर्ष 2020 से आरम्भ किया गया एवं IPRP एवं BAP भी चुँकि कैडर है इनका मानदेय भुगतान भी संकुल संगठन के माध्यम से इनके खाते में किया जाने लगा, परन्तु इनको पूर्व में दी जाने वाली राशि में किसी भी प्रकार की कटौती नही की गयी है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित कर्मियों को मानेदय में वृद्धि मातृत्व, पितृत्व अवकाश, बीमा का लाभ सीधे इनके व्यक्तिगत खाते में देने तथा मानदेय/पारश्रमिक भुगतान करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों?	खंड–1 में वर्णित इंटरनल प्रोफेसनल रिसोर्स पर्सन (I-PRP) और ब्लॉक एंकर पर्सन (BAP) झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रोमोशन सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मी नही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–File no- J-11060/19/2021-RL-part 2 E-376506, (RL Division), Dated-16.12.2022 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेट रुरल लाइवलीहुड मिशन (झारखण्ड में JSLPS), DAY-NRLM कार्यक्रम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं उनके फेडरेशन (ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन) को अपने कार्यो के सतत् संचालन हेतु कर्मचारी एवं सामुदायिक कैडर रखने एवं उनका वेतन/मानदेय अपने आतंरिक आय से करने के लिए सहयोग करना है, चूँकि प्रारंभिक चरण में इन सामुदायिक संस्थाओं (SHG, ग्राम संगठन एवं संकुल संगठन) के पास पर्याप्त आय नहीं होगा, स्टट रुरल लाइवलीहुड मिशन को सलाह दी जाती है कि उनके द्वारा, सामुदायिक कैडरों को मानदेय देने के लिए आवश्यक धनराशि सामुदायिक संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाए जो कि धीरे–धीरे कम करते जाना है ताकि चार वर्षो के उपरांत संबंधित सामुदायिक संस्थाएं अपने कैडरो/कर्मियों के मानदेय का पूर्णतः भुगतान अपने स्वयं की आय से कर सकें। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में वर्तमान में IPRP एवं BAP के भुगतान हेतु राज्य सरकार/जेएसएलपीएस के स्तर से वृद्धि का प्रावधान नही है, अतएवं IPRP एवं BAP के मानदेय में वृद्धि, मातृत्व/पितृत्व अवकाश, बीमा का लाभ, एवं मानदेय/परिश्रामिक को सीधे इनके व्यक्गित खाते में देने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/157/ 366 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2879, दिनांक–23.02.2024 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

(संदीप सिंह)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जे०एस०एल०पी०एस०।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/157/ 366 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

ज्ञापांकः–JSLPS/NRLM/SMIB/2024/157/ 366 राँची, दिनांकः– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रशाखा–3 को प्रश्नगत शून्यकाल प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

27/02/24

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।

(68)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–18 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000/– रूपये, उपाध्यक्ष को 10,000/– रूपये, सदस्य को 2500/– रूपये, प्रमुख को 8,000/– रूपये, उप प्रमुख को 4,000/– रूपये, मुखिया को 2500/– रूपये, उप मुखिया को 1200/– रूपये तथा वार्ड सदस्य को 500/– रूपये प्रतिमाह वेतन/मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जो मूल आवश्यकता के अनुरूप कम है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। (1) प्रश्नगत दर से मानदेय एवं भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। (2) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों सहित अन्य का मानदेय एवं यात्रा भत्ता में पूर्व से निर्धारित नियत दर में विभागीय अधिसूचना संख्या 1422 दिनांक 15.06.2023 द्वारां आवश्यकतानुरूप संशोधन करते हुए झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के प्रावधानों के अनुरूप जन प्रतिनिधियों को मानदेय एवं भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जन प्रतिनिधियों को वेतन/मानदेय के अलावे कोई अन्य सुविधाएँ यथा–यात्रा भत्ता, आवास एवं अन्य भत्ता नहीं दी जा रही है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना संख्या 1422 दिनांक 15.06.2023 के आलोक में जन प्रतिनिधियों को यथा निर्धारित देय दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता दिया जाता है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित जन प्रतिनिधियों के वेतन/मानदेय में वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुरूप आवश्यक वृद्धि करते हुए यात्रा भत्ता, आवास भत्ता एवं अन्य आवश्यक भत्ता भी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा, राँची–834004
e-mail : panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

ज्ञापांकः–1स्था(वि0स0)–15/2024–521–/, राँची, दिनांकः–27.2.24

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक 2874 दिनांक 23.02.2024 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-2-24

(सुरेश कुमार दास)
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0..2/..

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–15/2024–521–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0स0)–15/2024–521–/, राँची, दिनांकः– 27.2.24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव ।

अनिल/26.02.2024

(69)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–05 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत 20 लाख से भी अधिक लाभुक आवास निर्माण हेतु रजिस्टर्ड किये गये हैं, जिन्हें 2 लाख की सहायता प्रति आवास उपलब्ध कराई जायेगी;	आंशिक स्वीकारात्मक। अबुआ आवास योजनान्तर्गत आगामी 03 वर्षों में कुल 8,00,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अबुआ आवास योजनान्तर्गत कुल 29,97,193 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः जनमानस की भावना तथा आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए अबुआ आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को कुल 8,00,000 आवास से आच्छादित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर अतिरिक्त 12,00,000 आवास देते हुए लगभग 20,00,000 आवास किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वर्त्तमान निर्धारित लक्ष्य के आलोक में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,08,440 लाभुकों का आवास निर्माण हेतु पंजीकरण किया गया है, जिसमें से उक्त वित्तीय वर्ष में 2 लाख लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिया जाना है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित योजनाओं के रजिस्ट्रेशन में विभागीय अनियमितता के कारण अबुआ आवास में निर्धारित मानकों के अनुसार लाभुकों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा अन्यान्य कठिनाईयाँ हो रही है?	अस्वीकारात्मक। अबुआ आवास योजना अन्तर्गत लाभुकों का जिलों द्वारा पंजीकरण विभागीय संकल्प सं०–4545, दिनांक–20.10.2023 एवं मार्गदर्शिका सं०–4545(A), दिनांक–20.10.2023 में निहित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना है। इसके अतिरिक्त तत्संबंध में विभागीय पत्रांक–570 दिनांक–09.02.2024, पत्रांक–669(अनु०), दिनांक–20.02.2024 एवं पत्रांक–4980 दिनांक–21.11.2023 द्वारा सभी जिलों को नियमानुसार लाभुकों के चयन हेतु निदेशित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साहेबगंज सहित राज्य के सभी जिलों में वर्णित योजना में निबंधित लोगों को मानक के अनुसार अविलम्ब अबुआ आवास का लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	अबुआ आवास योजना अन्तर्गत अहर्ता पूर्ण करने वाले योग्य लाभुकों को वर्षवार कर्णांकित लक्ष्य के विरूद्ध वरीयता सूची के आधार पर अबुआ आवास उपलब्ध कराया जाना है।

27.02.2024

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–14 / 2024 / ग्रा०वि०– 792. राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2731, दिनांक–20.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–14 / 2024 / ग्रा०वि०– 792, राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–14 / 2024 / ग्रा०वि०– 792, राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–28.02.2024 को श्री केदार हजरा माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे झारखण्ड राज्य में विगत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष करीब 30–कि0मी0 प्रति विधान सभा क्षेत्र में नये ग्रामीण पथ का निर्माण कराया गया था;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पूर्व की सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूरे राज्य में लगभग 1620–कि0मी0 नये ग्रामीण पथ का निर्माण कराया गया है;	विगत सरकार के कार्यकाल (वर्ष 2015–2019) में स्वीकृत सभी पथों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान सरकार के द्वारा अब तक पूर्व की सरकार द्वारा किये गये स्वीकृत पथ के अनुरूप नये ग्रामीण पथ का निर्माण नहीं कराया गया है;	पूर्व के सरकार द्वारा स्वीकृत पथों में निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए वर्त्तमान सरकार के कार्यकाल में अबतक कुल–6220 कि0मी0 पथों की निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके विरूद्ध कुल–5086 कि0मी0 पथों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मानक के अनुरूप पूरे झारखण्ड राज्य में वर्त्तमान कार्यकाल में 2019 से 2024 तक की अवधि में नये ग्रामीण पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–261 / 2024 ग्रा0का0वि0 452 राँची / दिनांक– 27.02.2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2674, दिनांक–19.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–261 / 2024 ग्रा0का0वि0 452 राँची / दिनांक– 27.02.2024

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–261 / 2024 ग्रा0का0वि0 452 राँची / दिनांक– 27.02.2024

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

71

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं० नं०–04 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम द्वारा जनहित से संबंधित दो योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर अपने निगमीय पत्रांक–4450 दिनांक–11.11.2022 एवं पत्रांक–1492 दिनांक–18.07.2023 द्वारा दोनों योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि महीनों व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा आज तक जनहित से जुड़े दोनों योजनाओं के लिए न तो राशि आवंटित किया गया है और न ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि दोनों योजनाओं से संबंधित कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण आम जनता को काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकरात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोनों योजनाओं के लिए राशि आवंटन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति करते हुए दोनों योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष–2023–24 में पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम के पत्रांक–4450 दिनांक–11.11.2022 एवं पत्रांक–1492 दिनांक–18.07.2023 द्वारा दो योजनाएँ क्रमशः (i) 'Construction of RCC Drain at Don Bosco School, Hesag to Rivers's Bank via Sai Ram Gupta (b) Mahadeo Enclave and Ramjanam Enclave in Slab under ward no. 51 & 52' तथा (ii) 'Rejuvenation of Hesag Talab under ward no. 52' की प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन हेतु विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। राँची नगर निगम के पत्रांक–570/Eng. दिनांक–22.02.2024 द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अनुसार वार्ड सख्या 51 एवं 52 अन्तर्गत 'Construction of RCC Drain at Don Bosco School, Hesag to Rivers's Bank via Sai Ram Gupta(b) Mahadeo Enclave and Ramjanam Enclave in Slab' योजना की निविदा NIT-112/Eng. दिनांक–10.01.2024 के ग्रुप संख्या 03 के माध्यम से आमंत्रित है। निविदा निष्पदान प्रक्रियाधीन है। निविदा के निष्पादनोपरान्त संवेदक के साथ एकरारनामा कर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा। राँची नगर निगम के वार्ड सं०–52 में 'Rejuvenation of Hesag Talab' के लिए प्राप्त DPR की समीक्षा हेतु निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2023 को समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में प्राक्कलन में अंकित त्रुटियों का निराकरण करते हुए परामर्शी को संशोधित DPR समर्पित करने का निदेश दिया गया है। राँची नगर निगम के पत्रांक–570/Eng. दिनांक–22.02.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि परामर्शी द्वारा दिनांक–01.03.2024 तक राँची नगर निगम को प्राक्कलन समर्पित कर दिया जाएगा। परामर्शी द्वारा प्राक्कलन समर्पित किये जाने के उपरांत योजना कार्यान्वयन हेतु अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/अल्पसूचित–01/2024/न०वि०आ० 784 राँची, दिनांक :– 27/02/24

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र0–2675 दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(72)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि अबुवा आवास योजना का लाभ चुने हुए/जनप्रतिनिधियों को नहीं देने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों में अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाता है,	अस्वीकारात्मक। पंचायती राज विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1422 दिनांक–15.06.2023 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को मासिक, दैनिक मानदेय नियत किया गया है। उक्त अधिसूचना में अ०ज०जा०, अ०पि०व०, महिला एवं अन्य वर्ग की महिला प्रतिनिधि, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, उन्हें 150/– रूपये प्रति बैठक की दर से विशेष मानदेय अलग से दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में वार्ड सदस्य एवं समिति सदस्यों को अबुआ आवास नहीं देने के निर्देश के कारण गरीब व्यक्ति त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जिससे पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होगी,	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत के वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को अबुआ आवास नहीं देने के निर्देश में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजदूत करने का विचार रखती है और (साथ में) उन्हें अबुआ आवास उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में विभाग के समक्ष पंचायत के वार्ड सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों को अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

27.02.2024

(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–15/2024/ग्रा०वि०– 793, राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2812, दिनांक–22.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–15/2024/ग्रा०वि०– 793, राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–15 / 2024 / ग्रा०वि०– 793, राँची, दिनांक :–27/02/2024

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

27.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

(73)

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री दीपक बिरूवा, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–404, दिनांक–31.03.2015 द्वारा राज्य के परिवहन विभाग की परिसम्पतियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन करने के लिए संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर के एग्रिको प्रतिष्ठान का 2.03 एकड़ भूखंड बेकार पड़ा है और बारीडीह प्रतिष्ठान का 16.52 एकड़ भूखण्ड पर स्थित परिसम्पतियों पर विभाग का नियंत्रण नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि मौजा–बारा, प्लॉट संख्या–3489, रकबा–3.04 एकड़ और मौजा–बारीडीह प्लॉट संख्या–3778, रकबा–13.48 एकड़ भूखण्ड पर कई सरकारी एवं गैर सरकारी अनधिकृत निर्माण विभाग की अनुमति के बिना हुए हैं, जिनपर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, फलस्वरूप इनका अतिक्रमण जारी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परिवहन विभाग के उपर्युक्त भूखंडों एवं इनपर अनधिकृत रूप से निर्मित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी परिसम्पतियों को जेएनएसी को सौंपने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि एग्रिको प्रतिष्ठान में 2.03 एकड़ भूखण्ड (मौजा –साकची, खाता सं०–218, प्लॉट सं०–2421) टाटा से लीज पर निगम (एकीकृत) को दिया गया था, जिसमें कुल 2.03 एकड़ भूमि चाहर दिवारी से घिरा हुआ है। भूखण्ड की स्थिति यथावत है। बारीडीह प्रतिष्ठान के आंशिक भू–भाग पर टाउन हॉल तथा धार्मिक स्थल का निर्माण राज्य सृजन के पूर्व ही किया गया है। उपर्युक्त भूमि नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने हेतु परिवहन विभागीय पत्रांक–1518, दिनांक–01.12.2016 द्वारा पूर्व में ही अनापत्ति प्रदान की जा चुकी है।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04 / परि०वि०(वि०स०प्र०)–20 / 2024 323 /राँची,दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2777, दिनांक–21.02.2024 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24
उप सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – 04/परि०वि०(वि०स०प्र०)–20/2024 323 /राँची,दिनांक 27.02.2024

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

उप सचिव
परिवहन विभाग।

74

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके लिए 30 लाख आवेदन आये हैं,	आंशिक स्वीकारात्मक। अबुआ आवास योजनान्तर्गत आगामी 03 वर्षों में कुल 8,00,000 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूर्व निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध अबुआ आवास योजनान्तर्गत कुल 29,97,193 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः जनमानस की भावना तथा आवश्यकता को दृष्टिपथ में रखते हुए अबुआ आवास योजनान्तर्गत लाभुकों को कुल 8,00,000 आवास से आच्छादित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर अतिरिक्त 12,00,000 आवास देते हुए लगभग 20,00,000 आवास किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिले में 54,000 आवेदन आवास के लिए आये हैं, जिनमें से मात्र 3887 लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। उप विकास आयुक्त, खूँटी के पत्रांक–212/वि०, दिनांक–21.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खूँटी जिला अन्तर्गत प्राप्त 54,000 आवेदनों में से कुल 36,630 लाभुक योग्य पाए गये हैं। योग्य लाभुकों में से मौजूदा वित्तीय वर्ष हेतु कर्णांकित लक्ष्य के विरूद्ध 3887 लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी गई है तथा शेष योग्य लाभुकों को आगामी वर्षों में इस योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे लाभुकों को अबुआ आवास योजना के तहत आवास देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

26.02.2024
(चन्द्र भूषण)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–13/2024/ग्रा०वि०– 777 राँची, दिनांक :– 26/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2638, दिनांक– 18.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

26.02.2024
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–13/2024/ग्रा०वि०– 777 राँची, दिनांक :– 26/02/2024

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

26.02.2024
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–13 / 2024 / ग्रा०वि०– 777 राँची, दिनांक :–26/02/2024

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26.02.2024

सरकार के अवर सचिव।

(75)

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या०–अ०सू०–12 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा राँची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद आदि शहरों में लगभग 500 बहुमंजिला फ्लेट का निर्माण कराया गया है, जिसकी कीमत अत्यधिक होने के कारण इन फ्लेटों की बिक्री नहीं हो पा रही है, साथ ही यह फ्लेट रख–रखाव के अभाव में दिन–प्रतिदिन जर्जर होते जा रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उपरोक्त शहरों में निर्मित फ्लेटों की वर्तमान कीमत में कटौती करते हुए उचित मूल्य निर्धारित कर फ्लेटों की बिक्री करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा हजारीबाग, जमशेदपुर एवं धनबाद शहर में निर्मित फ्लैटों की कीमत बाजार दर से कम है। निर्मित फ्लैटों का आवंटन ई–लॉटरी के माध्यम से किया जाना है, जो प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–7 / आ०बो० / वि०स०(अ०सू)–04 / 2024 / न०वि०आ० 797 राँची, दिनांक 27/02/24

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०प्र०–2878 दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

सरकार के अवर सचिव।

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–17" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि मेदिनीगर से पाँकी–हरदीपुर होते हुए चतरा जिले के बगरा मोड़ तक (लम्बाई–100 कि0मी0) A.D.B.-थ्री के तहत प्रस्तावित है ;	वाह्य सम्पोशित योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव गठन तथा उसकी रूपरेखा अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वाह्य सम्पोशित योजना ADB के माध्यम से अथवा अन्य स्रोत से सम्पोशित होगी के लिए निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ के निर्माण हो जाने से मेदिनीनगर से चतरा की दूरी तो कम होगी ही, साथ ही पाँकी विधान–सभा क्षेत्र सहित पलामू जिले का आर्थिक विकास भी संभव होने की संभावनाएँ प्रबल होंगी ;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ को इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान कराकर निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–अ0सू0–06 / 2024(बजट सत्र) 928(S) / राँची, दिनांक :– 27/2/24

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–2876, दिनांक–23.02.2024 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अशोक कु0 सिंह
27/2/24
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

77

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–28.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्रम	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद परिसदन में नया एवं पुराने भवन की मरम्मति हेतु दिनांक– 16.01.2024 को माननीय प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना के परिप्रेक्ष्य में 96,52,950/–(छियानबे लाख बावन हजार नौ सौ पचास) रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया एवं उसी तिथि को हजारीबाग अंचल अभियंता के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी ;	स्वीकारात्मक। भवन प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक–11अनु0/धनबाद दिनांक–17.01.2024 के द्वारा धनबाद जिलान्तर्गत Renovation of New & Old Circuit House at Dhanbad कार्य हेतु राशि 96,52,950/–(छियानबे लाख बावन हजार नौ सौ पचास) मात्र के अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, हजारीबाग द्वारा तकनीकी प्रदत्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन हेतु उपायुक्त, धनबाद से अनुरोध किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, धनबाद भवन प्रमंडल में श्री चंदन कुमार द्वारा बिना निविदा के ही श्री प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति को कार्यदेश आवंटित कर दिया गया जो पक्षपात पूर्ण एवं सरकारी नियम के विरूद्ध होने के साथ ही प्रशासनिक अनुशासन हीनता को दर्शाता है ;	अस्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद के पत्रांक–349 दिनांक–20.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदित है कि इस योजना पर अब–तक प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त है जिस कारण निविदा की कार्रवाई नहीं की गई है। तकनीकि स्वीकृति के पश्चात् प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत निविदा की प्रक्रिया की जाती है तथा निविदा में चयनित संवेदक को कार्य आवंटित किया जाता है। श्री प्रदीप कुमार नामक व्यक्ति को कोई कार्य आवंटित नहीं की गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड कार्यपालक अभियंता श्री चंदन कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई कर दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

23.02.24

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग
ज्ञापांकः– प्र0–03–विधायी–(अ0सू0–02)–04/24भ0नि0 377 राँची, दिनांकः– 23/2/24
प्रतिलिपिः–श्री नीलेश रंजन, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक–2646 दिनांक–18.02.2024 के आलोक में प्रश्नोत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.02.24

सरकार के अवर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।